

## वस्तु और सेवा कर परिषद्

### प्रलिमिस के लिये:

जीएसटी काउंसलि, वन नेशन वन टैक्स।


### मेन्स के लिये:

जीएसटी से जुड़े महत्व और चुनौतियाँ।

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में [वस्तु और सेवा कर \(GST\)](#) परिषद की 47वीं बैठक में अधिकारियों ने दर संरचना को सरल बनाने के लिये बड़े पैमाने पर कई उपभोग वस्तुओं की छूट को समाप्त करते हुए कुछ वस्तुओं और सेवाओं के लिये दरों में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी।

## What becomes costlier, cheaper



//

### GST परिषद:

#### ▪ पृष्ठभूमि:

- 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक (122वाँ संशोधन) विधियक पारति होने के बाद वस्तु और सेवा कर व्यवस्था लागू हुई।
- इसके बाद 15 से अधिक भारतीय राज्यों ने अपने राज्य विधानसभाओं में इसकी पुष्टिकी जसिके बाद राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी।

- परचिय:**
  - GST परविद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है।
  - इसे राष्ट्रपति द्वारा संशोधनी संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के अनुसार स्थापित किया गया था।
- सदस्य:**
  - परविद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) शामिल हैं।
  - प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या कसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।
- कार्य:**
  - परविद अनुच्छेद 279 के अनुसार, "GST से संबंधित महत्वपूर्ण मुददों पर केंद्र और राज्यों को सफिरशिंग करने के लिये है, जैसे- वस्तुओं और सेवाओं पर GST, मॉडल GST कानूनों के अधीन है या छूट दी जा सकती है।"
  - यह GST के विभिन्न दर स्लैब पर भी नियमित है।
    - उदाहरण के लिये मंत्रीयों के एक पैनल की अंतर्राष्ट्रीय रपोर्ट में कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर 28% कर लगाने का सुझाव दिया गया है।
- हाल के घटनाक्रम:**
  - मई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह पहली बैठक है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि GST परविद की सफिरशिंग अधिकारी नहीं हैं।
  - न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को GST पर कानून बनाने की "एक साथ" शक्ति देता है तथा परविद की सफिरशिंग "संघ एवं राज्यों को शामिल करने वाली वारता का परणिम है।"
    - केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने इसका स्वागत किया, जो मानते हैं कि राज्य अपने अनुकूल सफिरशिंग को स्वीकार करने में अधिक लचीले हो सकते हैं।

## वस्तु एवं सेवा कर (GST):

- परचिय:**
  - GST को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से पेश किया गया था।
  - यह देश के सबसे बड़े अपरत्यक्ष कर सुधारों में से एक है।
    - इसे 'वन नेशन वन टैक्स' (One Nation One Tax) के नामे के साथ पेश किया गया था।
  - GST में उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्द्धना कर (VAT), सेवा कर, वित्तीय सेवा कर आदि जैसे अपरत्यक्ष करों को सम्मिलित किया गया है।
  - जीएसटी कर के व्यापक प्रभाव या कर के भार को कम करता जो अंतमि उपभोक्ता पर भारती होता है।
- GST के अंतर्गत कर संरचना:**
  - उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिये केंद्रीय जीएसटी।
  - VAT, लक्जरी टैक्स आदि को कवर करने के लिये राज्य जीएसटी।
  - अंतर्राज्यीय व्यापार को कवर करने के लिये एकीकृत जीएसटी (IGST)।
    - IGST स्वयं एक कर नहीं है बल्कि राज्य और संघ के करों के समन्वय के लिये एक कर प्रणाली है।
  - इसमें स्लैब के तहत सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिये 4-स्तरीय कर संरचना 5%, 12%, 18% और 28% है।
- जीएसटी लागू करने के कारण:**
  - दोहरे कराधान, करों के व्यापक प्रभाव, करों की बहुलता, वर्गीकरण आदि जैसे मुददों को कम करने के लिये और एक साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना।
  - वस्तु या सेवाओं (यानी इनपुट पर) की खरीद के लिये एक व्यापारी जो जीएसटी का भुगतान करता है, उसे बाद में अंतमि वस्तुओं और सेवाओं की आपूरतीपर लागू करने के लिये तैयार या सेट किया जा सकता है।
    - सेट ऑफ टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है।
  - इस प्रकार जीएसटी कर पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव को कम कर सकता है क्योंकि इससे अंतमि उपभोक्ता पर कर का बोझ बढ़ जाता है।

## जीएसटी का महत्व:

- एक साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण:** यह भारत के लिये एक एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाजार बनाने में मदद करेगा। यह विदेशी निविश और "मेक इन इंडिया" अभियान को भी बढ़ावा देगा।
- कराधान को सुव्यवस्थिति करना:** केंद्र और राज्यों तथा केंद्रशासित राज्यों के बीच कानूनों, प्रक्रियाओं और कर की दरों में सामंजस्य स्थापित होगा।
- कर अनुपालन में वृद्धि:** अनुपालन के लिये बेहतर वातावरण बनेगा क्योंकि सभी रटिरन ऑनलाइन दाखिल किया जाएगा, इनपुट क्रेडिट को ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा, आपूरत शृंखला के प्रत्येक स्तर पर कागज रहति लेन-देन को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- कर चोरी को हतोत्साहित करना:** समान SGST और IGST दरें पड़ोसी राज्यों के बीच तथा अंतर-राज्यीय बिक्री के बीच दर मध्यस्थिति को समाप्त करके चोरी के लिये प्रोत्साहन को कम करेंगी।
- नियन्त्रिता लाना:** करदाताओं के पंजीकरण के लिये सामान्य प्रक्रियाएँ, करों की वापसी, कर रटिरन के समान प्रारूप, सामान्य कर आधार, वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण की सामान्य प्रणाली कराधान प्रणाली को अधिक नियन्त्रिता प्रदान करेगी।
- भ्रष्टाचार में कमी:** आईटी के अधिक उपयोग से करदाता और कर प्रशासन के बीच मानवीय संपर्क कम होगा, जो भ्रष्टाचार को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
- माध्यमिक क्षेत्र को बढ़ावा देना:** यह नियात और विनियमन गतविधियों को बढ़ावा देगा, अधिक रोजगार पैदा करेगा और इस प्रकार लाभकारी रोजगार के साथ सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करेगा जिससे वास्तविक आर्थिक विकास होगा।

## जीएसटी से जुड़े मुद्दे:

- **कई कर दरें:** कई अन्य अरथव्यवस्थाओं के विपरीत, जनिहोने इस कर व्यवस्था को लागू किया है, भारत में कई कर दरें हैं। यह देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिये एकल अप्रत्यक्ष कर की दर की प्रगति को बाधति करता है।
- **नए उपकर:** जहाँ जीएसटी ने करों और उपकरों की बहुलता को समाप्त कर दिया, वही विलासिता वाली वस्तुओं के लिये क्षेत्रप्रियताप्रकार के रूप में एक नई लेवी शुरू की गई। बाद में इसे ऑटोमोबाइल को शामिल करने के लिये विस्तारित किया गया।
- **विश्वास की कमी:** केंद्र सरकार की राज्यों के साथ साझा किये बना खुद के लिये उपकर और उचित उपकर लगाने की प्रवृत्ति ने राज्यों हेतु गारंटीकृत मुआवजे को विश्वसनीयता प्रदान की है।
  - यह सही साब्दिति हुआ क्योंकि जीएसटी अपने आरथकि वादों को पूरा करने में वफिल रहा और इस गारंटी के माध्यम से राज्यों के राजस्व की रक्षा की गई।
- **अरथव्यवस्था जीएसटी के दायरे से बाहर:** करीब आधी अरथव्यवस्था जीएसटी से बाहर है। उदाहरण पेट्रोलियम, रयिल एस्टेट, बजिली शुल्क जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।
- **टैक्स फाइलगी की जटिलता:** जीएसटी कानून में जीएसटी ऑडिट के साथ-साथ करदाताओं की निरिदेशित श्रेणियों द्वारा जीएसटी वार्षिक रटिरन दाखिल करने की आवश्यकता होती है लेकिन वार्षिक रटिरन दाखिल करना करदाताओं के लिये एक जटिल और भ्रमित करने वाला काम है। इसके अलावा वार्षिक फाइलगी में कई विवरण भी शामिल होते हैं जिन्हें मासिक व त्रैमासिक फाइलगी में माफ कर दिया जाता है।
- **उच्च कर दरें:** हालाँकि दरों को युक्तसिंगत बनाया गया है फरि भी 50% आइटम 18% ब्रैकेट (**Bracket**) के अंतर्गत हैं। इसके अलावा महामारी से नपिटने के लिये कुछ आवश्यक वस्तुएँ हैं जिन पर अधिकि कर भी लगाया गया था। उदाहरण के लिये ऑक्सीजन सांदरता पर 12% कर, टीकों पर 5% और विदेशों से राहत आपूर्ति पर कर।

## आगे की राह

- नियन्य लेने की परामर्शी और सहमतपूर्ण प्रकृतजिसिने अब तक परिषिद के नियन्यों को निरिदेशित करने में मदद की है, का पालन किया जाना चाहयि।
- विविदासपद मुद्दों को संबोधित करने के लिये सबसे पहले और सबसे महत्वपूरण केंद्र एवं राज्यों के बीच विश्वास की कमी को पाठने की आवश्यकता होगी। सहकारी संघवाद की भावना, जिसकी अकसर सततारूढ़ सरकार द्वारा वकालत की जाती है, को बरकरार रखा जाना चाहयि।
- विश्वास की कमी को केवल अच्छे विश्वासपरक कृत्यों के माध्यम से ही भरा जा सकता है। केंद्र सरकार को राज्यों के प्रत्येक विचनबद्ध होना चाहयि किवह उन उपकरों और अधिभारों का सहारा नहीं लेगी जो राजस्व के बँटवारे योग्य पूल से बाहर हैं। इसे राज्यों के प्रत्येक राजस्व गारंटी प्रतबिद्धता का सम्मान करने का संकल्प लेना चाहयि। इसे न केवल राजकोषीय संघवाद बल्कि राजनीतिक और संवैधानिक संघवाद की सच्ची भावना का भी सम्मान व समर्थन करना चाहयि।
- भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों के पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान दोनों को आरोपित करने हेतु समान अधिकार नहीं हैं। जीएसटी ने भारत के अप्रत्यक्ष कराधान को केंद्रीकृत किया। राज्यों को प्रत्यक्ष कराधान के लिये अधिकार देकर विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ते हुए एक राष्ट्रीय चर्चा शुरू करने का समय आ गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की चर्चा शुरू करने की प्रतबिद्धता राज्यों के विश्वास और वित्तीय स्वतंत्रता के लिये एक स्वस्थ संकेत होगी।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस